

4.

किया गया है यह भूमि आदिवासी छाते की है। अब मनमोकिर वो उनके वारिसानों का कोई वास्ता सरकार हक वो दाबी स्य बिक्री जमीन पर बाकी न रहा वो न आइन्दे कभी होगा इसलिस बखुशी वो छाहिश अपने दस्तावेज बिक्री बयला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे मोकाम गुमला ।

मैं लेख्यकारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

दा. अ. यल २०५०/५ ३२१०/१

२४-१-०४


मैं लेख्यकारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

सलिसा बिच वरबला

Salisat Bikh Varbala

दा. अ. यल २०५०/५ ३२१०/१

२४-१-०४



5.

प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज 5 पन्नों में टाई किया गया है जिसमें खण्डन नहीं है जो मूल दस्तावेज से द्वितीयक प्रति एक दूसरे से डुबड़ और सच्ची प्रतिलिपि है। जो इस दस्तावेज के साथ ट्रेड नकल का मूल प्रति संलग्न है।

41/ अथर्व 25/5/2014

28-9-014

टंकक वासुदेव उरांव कोर्ट परिसर गुमला ड्राफ्टकर्ता
श्री चन्दन दोगनिक मिश्र अधिवक्ता
कोर्ट गुमला के ड्राफ्ट से टाई किया ।

28-9-014

चन्दन दोगनिक मिश्र

Chandana Mishra

